कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ–   /1/सा.प्र.वि./विविध/2024/2016   भिलाई, दिनांक 23.05.24

//आदेश//

अवर सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ 4–10/2024/18 दिनांक 27.03.2024 के अनुसार वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/439/2020/वि.नि./चार, दिनांक 03.08.2023 (वित्त निर्देश 26/2023) द्वारा शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पश्चात् आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि के संबंध में निर्देश जारी किया गया है तथा वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/453/2020/वि.नि./चार, दिनांक 07.08.2023 में दिनांक 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को दिनांक 01 जुलाई को एक वेतनवृद्धि देकर सेवानिवृत्त परिलाभ दिये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

वित्त विभाग के पत्र दिनांक 03.08.2023 (वित्त निर्देश 26/2023) के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर एवं 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को क्रमशः 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को शासकीय सेवा में नही होने के कारण वेतनवृद्धि हेतु अपात्र संबंधी निर्देश जारी किये गये है।

उपरोक्त के संबंध में विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, कि जिन शासकीय सेवकों के द्वारा सेवानिवृत्ति दिनांक को वेतन वृद्धि की अर्हता प्राप्त कर ली गई है, किन्तु आगामी दिवस को सेवा में न रहने के कारण वेतन वृद्धि देय नहीं होती है। ऐसे प्रकरणों में सेवानिवृत्ति पर प्राप्त वेतन में देय वेतन वृद्धि Notionally (काल्पनिक) आधार पर दी जाये, यह काल्पनिक वेतन वृद्धि केवल सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए मान्य होगी। इस परिपत्र के प्रावधान पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय सेवकों के प्रकरणों में भी लागू होगें।

अतः नगर पालिक निगम, भिलाई के अधिकारियों/कर्मचारियों के माह 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Sd/-
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ–   /1/सा.प्र.वि./विविध/2024/2017   भिलाई, दिनांक 23.05.24

प्रतिलिपि :–

1. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता 1/2/3/4/5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

5. उप संचालक, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, दुर्ग को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. सहायक अधीक्षक, भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. पेंशन लिपिक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
11. अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
12. अध्यक्ष, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई